#1276

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर ,कपासन जिला – चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी , ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - रूपाखेड़ी

धारा अन्तर्गत – 136 प्र.सं. 995 दायर दिनांक 9/10/25 निर्णय दिनांक 09/10/25

क्र.स..	नाम- ग्राम	खा.न	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	रूपाखेड़ी	113	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश कमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षैत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्ययीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम रूपाखेड़ी प.ह. रूपाखेड़ी खातासं 113 में वर्तमान् प्रविष्ट बडौदा क्षैत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी		
			बडौदा क्षैत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक		
			हस्ताक्षर पटवारी पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर 09-10-25 ILR बेधाना	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनार्थः–

1. पटवारी पटवार मण्डल ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

पटवार मण्डल रूपाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़

तहसीलदार (भू.अ.) तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौडगढ़

तहसीलदार कपासन

तहसील कपासन जिला-चित्तौडगढ़